न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :— 91/2021

प्रार्थी:—

1. पारसमल पुत्र मिश्रीलाल जाति सीरवी, नि0 नईढाणी, सरदारसमंद, तह0 जिला पाली राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगण:—

1. टीकम पुत्र चन्दा जाति सीरवी नि0 सरदारसमंद, तह0 सोजत, जि0 पाली।
2. लखाराम पुत्र रावत जाति सीरवी नि0 सरदारसमंद, तह0 सोजत, जि0 पाली।
3. उदय कुमार पुत्र हीरालाल
4. पुकी पत्नि हीरालाल
5. भैराराम पुत्र भंवरलाल
6. भंवरलाल पुत्र हीरालाल जातिगण कुम्हार नि0 नई ढाणी सरदारसमंद, तह0 सोजत जिला पाली।
7. सरकार जरिए तहसीलदार, (भूमिधारक) सोजत

उप खण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:—

1. **श्री अर्जूनसिंह राजपूरोहित अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।**
2. **श्री दुर्गाराम चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 05 उपस्थित।**

—: निर्णय :—

दिनांक :— 01/8/22

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर सरहद मौजा नई ढाणी, पटवार हल्का सरदारसमंद, तह0 सोजत जिला पाली में स्थित अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 386, 388/1252, 388, 389 बा0अ0, गै0मु0आगोर मे से नया मार्ग प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 386/1221 रकबा 0.05000 हैक्टर बा0अ0 मे जाने हेतु राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' की उपधारा 2 के अधीन अनुज्ञा के लिए न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी की अपनी खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नंबर 386/1221 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 386, 388/1252, 388, 389 बा0अ0, गै0मु0आगोर में से 20 फीट चौड़ा रास्ता जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया गया है। उस रास्ते को कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 689 में पहुँच हेतु अन्य कोई विकल्प रास्ता नही है जिससे प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में काश्त करने मे असुविधा उत्पन्न होती है। प्रार्थी रास्ते के एवज मे अप्रार्थीगण को नियमानुसार राशि उपलब्ध कराने को तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मय शपथ—पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में वर्णित लाल रंग से दर्शित भूमि

उपखण्ड अधिकारी (राज.)

खसरा नंबर 386, 388/1252, 388, 389 बा0अ0, गै0मु0आगोर में से 20 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी को खसरा संख्या 386/1221 तक आवागमन हेतु उपलब्ध करवाये जाने तथा राजस्व रेकर्ड व राजस्व नक्शे मे तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 05 की ओर से श्री दुर्गाराम चौधरी अधिवक्ता ने दिनांक 09.02.2022 को वकालतनामा पेश किया, सा0मि0 किया गया। जबाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु प्रर्याप्त अवसर देने के पश्चात भी पेश नही करने से जबाब प्रा0 पत्र पेश करने का अवसर दिनांक 01.08.2022 को बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 04, 05 से 07 को बावजूद तामिली/सूचना बार-बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक .2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार सोजत से वांछित तीनो बिन्दुओं पर मौका जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार सोजत ने प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका उनके पत्रांक/राजस्व/2021-22/333 दिनांक 02.02.2022 द्वारा पेश कर अंकित किया, कि ग्राम नई ढाणी के ख0न0 386/1221 रकबा 0.50 है0 भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता प्रार्थी पारसमल पुत्र मिश्रीलाल द्वारा ख0न0 386 सरकारी व ख0न0 388/1252 खातेदार, ख0न0 389 खातेदार में से आने जाने हेतु रास्ता का मौका देखा गया। वर्तमान में प्रार्थी की भूमि पर आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है। अप्रार्थी राज0 सरकार के ख0न0 386 रकबा 2.52 है0, ख0न0 388/1252 रकबा 0.57 है0 जो टीकम पुत्र चन्दा के नाम दर्ज है। अप्रार्थी लखाराम पुत्र रावतराम के ख0न0 388 रकबा 0.94 है0 अप्रार्थी संख्या 03 से 06 के ख0न0 389 रकबा 1.04 है0 में से होकर आने जाने हेतु नजदीक रास्ता है। उक्त खसरे में से 04 मीटर चौड़ा रास्ता प्रार्थी द्वारा चाहा गया है। प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल ख0न0 386 में से 14 × 4 वर्गमी0 = 56 वर्गमी0, ख0न0 388/1252 में से 68 × 4 वर्गमी0 = 272 वर्गमी0, ख0न0 388 में से 116 × 4 वर्गमी0 = 464 वर्गमी0, ख0न0 389 में से 50 × 4 वर्गमी0 = 200 वर्गमी0 रास्ता प्रस्तावित है। प्रस्तावित रास्ते पर निर्माण कार्य नहीं है। उक्त जॉच हमराह भू0अभि0 शिवपुरा, पटवारी हल्का शिवपुरा तथा मौतबिरान रूबरू उक्त दूरी संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से बिन्दु संख्या ए से बी तक दर्शायी गई । सब रजिस्ट्रार सोजत ने प्रस्तावित प्रार्थित रास्ते की भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर 1,27,575/- रूपये प्रति हैक्टर दर्शाई है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251ए में प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात तथा मौका रिपोर्ट तहसीलदार, सोजत डी0एल0सी0 दर का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर मनन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नही होता है, जबकि निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 386, 388/1252, 388, 389 बा0अ0, गै0मु0आगोर में से होकर ही पाया जाता है। फलतः इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा प्रार्थित रास्ते की भूमि डी0एल0सी0 की दर की दौ गुना प्रतिकर राशि अप्रार्थीगण को भुगतान किये जाने तथा रास्ते की भूमि आवागमन हेतु प्रार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा नई ढाणी, पटवार हल्का सरदारसमंद तह0 सोजत जिला पाली में प्रार्थी की कृषि जोत भूमि खसरा नम्बर 386/1221 रकबा 0.05000 हैक्टर बा0अ0 की भूमि में आवागमन हेतु (आने जाने के रास्ते हेतु) अप्रार्थीगण की कृषि जोत भूमि ख0न0 386 में से (14 × 4 वर्गमी0 = 56 वर्गमी0 अर्थात 0.0056 है0 × 1,27,575/–रूपये प्रति0 हैक्टर × 2 गुना = 1429/– रूपये), ख0न0 388/1252 में से (68 × 4 वर्गमी0 = 272 वर्गमी0 अर्थात 0.0272 है0 × 1,27,575/–रूपये प्रति0 हैक्टर × 2 गुना = 6941/– रूपये), ख0न0 388 में से (116 × 4 वर्गमी0 = 464 वर्गमी0 अर्थात 0.0464 है0 × 1,27,575/–रूपये प्रति0 हैक्टर × 2 गुना = 11839/– रूपये), ख0न0 389 में से (50 × 4 वर्गमी0 = 200 वर्गमी0 अर्थात 0.0200 है0 × 1,27,575/–रूपये प्रति0 हैक्टर × 2 गुना = 5103/– रूपये) की राशि सम्बद्ध निम्नांकित खातेदारानों के नाम के आगे अंकित भूमि प्रतिकर मुआवजा राशि की डी0एल0सी0 दर 1,27,575/– प्रति हैक्टर की दौगुणा राशि उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा जरिए डिमाण्ड ड्राप्ट करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

क्र0 सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रक़बा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में
1	388/1252 बा0अ0	0.5700	टीकम पुत्र चन्दा जाति सीरवी नि0 सरदारसमंद	68 × 4 वर्गमी0 = 272 वर्गमी0 अर्थात 0.0272 है0	6941/– रू
2	388 बा0अ0	0.9400	लखाराम पुत्र रावत जाति सीरवी सा0देह खातेदार	116 × 4 वर्गमी0 = 464 वर्गमी0 अर्थात 0.0464 है0	11839/–रू
3	389 बा0अ0	1.040	उदय कुमार पुत्र हीरालाल	50 × 4 वर्गमी0 = 200 वर्गमी0 अर्थात 0.0200 है0	1275.75/– रू
4			पुकी पत्नि हीरालाल		1275.75/– रू
5			भैराराम पुत्र भंवरलाल		1275.75/– रू
6			भंवरलाल पुत्र हीरालाल जातिगण कुम्हार सा0 देह खातेदार		1275.75/– रू

उपखण्ड अधिकारी,
(राज.)

7	386 गै0मु0अ0	2.5200	सरकार जरिए तहसीलदार, (भूमिधारक) सोजत	14 × 4 वर्गमी0 = 56 वर्गमी0 अर्थात 0.0056 है0	1429/— रू
			योगः—	0.0992	25312/-रु.

तदानुसार राजस्व रेकर्ड, नक्शा में अमल दरामल/तरमीम किया जावें। उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिर्पोट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये। उक्त निर्णय मौका रिर्पोट मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 01/08/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)